न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 41/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00358

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति पुरोहित, निवासी घेनड़ी तहसील रानी जिला पाली (राज.)		राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार खिवाड़ा, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/02/2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाड़ा के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 102/2020 सरकार बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का घेनड़ी ने अपीलाण्ट को ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 406 रकबा 00.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमि पर तारबंदी कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 102/2020 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2020 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट को तामील नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.10.2020 को अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए, अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने बाबत निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है। जैर अपील आराजी का अपीलाण्ट की पत्नी के नाम ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 05

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निःशुल्क जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें कब्जा दिया गया है, जिसके आधार पर अपीलाण्ट जैर अपील आराजी पर काबिज था, अपीलाण्ट को उक्त भूमि सरकारी भूमि है, इसका पता नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटा दिया है, जो मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2020 से स्पष्ट है, इसके साथ ही अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि उसने जैर अपील आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा वह भविष्य में जैर अपील आराजी या अन्य किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 15.12.2020 को जब पुलिस उसे गिरफ्तारी करने के लिए आई तो हुई, इसके पश्चात तुरन्त ही जैर अपील आदेश की नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने अपीलाण्ट स्वयं एवं मौतबिरान की उपस्थित में जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पूनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट को दिनांक 15.12.2020 को न्यायिक हिरासत में लिया गया, तब उसे जैर अपील आदेश की जानकारी हुई, इससे जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को समय पर नहीं होना स्पष्ट है। अतः न्याय की दृष्टि से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार किया जाता है तथा अपील अपीलाण्ट का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने पर, पटवारी हल्का घेनड़ी द्वारा उसे मौतबिरानों की उपस्थिति में भौतिक रूप से बेदखल किया था। जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न बेदखली फर्द से होती है। उसी आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः संवत् 2077 में अतिक्रमण किए जाने से उप तहसीलदार खिवाड़ा ने पटवारी हल्का घेनड़ी की टी.पी. रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2020 को प्रकरण संख्या 102/2020 दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर दिनांक 08.10.2020 को अपीलाण्ट ने मातहत अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके द्वारा किया गया अतिचार, जो पश्चातवृती अतिचार की श्रैणी में आने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/– रूपये जुर्माने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट की पत्नी के नाम ग्राम पंचायत घेनड़ी द्वारा जैर अपील आराजी का पट्टा संख्या 5 जारी किया गया है, इसलिए उसने उक्त आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सुपूर्द किए जाने से कब्जा कर रखा था, उक्त आराजी सरकारी भूमि है इसकी उसको जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अपना कब्जा हटा दिया है, जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.12.2020 से होती है, इसके साथ ही अपीलाण्ट ने इसी आशय का एक शपथ पत्र भी मातहत अदालत के समक्ष पेश किया है, जो पत्रावली संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का वर्तमान में जैर अपील आराजी पर कब्जा नहीं है तथा भविष्य में किसी भी राजकीय आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत उसने शपथ पत्र भी दिया है। अपीलाण्ट एक अनपढ़, ग्रामीण एवं पशुपालक व्यक्ति होने के कारण इस अदालत द्वारा उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल कारावास के आदेश में से अपीलाण्ट द्वारा भूगती हुई सजा में से शेष रहे दिवसों की सजा को अपास्त किया जाता है तथा मातहत अदालत द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली